

कायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा एवं पदेन उपसचिव,
म.प्र शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 326/भू-अर्जन/2017/


आगर, दिनांक 26.08.2017
09

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग की गणेशपुरा बांध हेतु निजी भूमि की आवश्यकता होने से राज्य शासन आपसी सहमति से भूमि क्रय निति के अंतर्गत निम्न भूमि/भूखण्ड भू-स्वामियों की सहमति के आधार पर क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह इस पत्र को जारी होने के 15 दिवस के भीतर आधार सहित कलेक्टर आगर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम का नाम:	कंठालिया का खेडा		तहसील	सुसनेर
जिला :-	आगर-मालवा		पटवारी हल्का नं.	
स.क्र	खसरा क्र.	कुल रकबा हेक्टेयर में	क्रय किया जाने वाला रकबा हेक्टेयर में	भू धारक का नाम जाति एवं पता
1	217/1	0.28	0.08	शिवसिंह पिता नारायण व सीताबाई पिता नारायण एवं बरदीबाई वि. नारायण
2	218	0.28	0.08	दुर्गालाल पिता भंवरलाल, भंवरलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी
3	131	0.66	0.08	कंवरलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी
योग			0.16	

नोट:- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गणेशपुरा बांध का डूब प्रभावित क्षेत्र होने से।
2. भूमि के नक्षे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी व-भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।


(अजय गुप्ता)
कलेक्टर

आगर मालवा

एवं पदेन उपसचिव


मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

आगर, दिनांक 26.08.2017

क्रमांक 322/भू-अर्जन/2017/

उद्घोषणा की प्रति:-

- आयुक्त सूचना एवं प्रकाशन, मध्यप्रदेश जन सम्पर्क भवन बाणगंगा भोपाल की ओर 5 प्रतियों में जिसमें से दो समाचार पत्रों में प्रकाशन होना है, समाचार स्थानीय होना आवश्यक है।
- कलेक्टर, आगर मालवा के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- जिला सूचना अधिकारी जिला आगर मालवा, डी.एम. आगर मालवा की ओर जिले की वेब साईट पर प्रसारित हेतु।
- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के सूचना पटल पर चस्पा हेतु दो प्रति में एक चस्पा करवाकर फाइल करें।
- तहसीलदार सुसनेर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु दो प्रति में एक चस्पा करवा देने का प्रतिवेदन अंकित कर इस कार्यालय को भेजें।
- मुख्य कार्यालय अधिकारी जनपद पंचायत, सुसनेर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु दो प्रति में एक प्रति चस्पा करवा देने का प्रतिवेदन अंकित कर इस कार्यालय को भेजें।
- कार्यापालन यंत्री जल संसाधन संभाग शाजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु दो प्रति में एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा देने का प्रतिवेदन अंकित कर इस कार्यालय को भेजें।
- अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन विभाग सुसनेर के सूचना पटल पर चस्पा हेतु दो प्रति में एक प्रति चस्पा करवा देने का प्रतिवेदन अंकित कर इस कार्यालय को भेजें।
- ग्राम पंचायत कंठालिया का खेडा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु दो प्रति में एक प्रति चस्पा करवा देने का प्रतिवेदन अंकित कर इस कार्यालय को भेजें।



कलेक्टर

आगर मालवा

एवं पदेन उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग